न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– सुश्री श्वेता चौहान आई0ए0एस0

प्रकरण सं0 –
30/2019 प्रार्थना पत्र

तारीख दायर
26.02.2019

तारीख फैसला
30.10.2019

उनवान

बालू पिता घीसा माली निवासी कादीसहना तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

बनाम

– प्रार्थी

1. रामधन पिता राजू जाट निवासी बालापुरा तहसील शाहपुरा
2. सत्यनारायण पिता राजू जाट निवासी बालापुरा तहसील शाहपुरा
3. हरनाथ पिता धूकल जाट निवासी बालापुरा तहसील शाहपुरा
4. मगना पिता धूकल जाट निवासी बालापुरा तहसील शाहपुरा
5. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 212 आर. टी. ए.

उपस्थिति :– 1 श्री योगेन्द्रसिंह भाटी :– अभिभाषक – प्रार्थी
2 श्री त्रिलोकचन्द नौलखा :– अभिभाषक – विपक्षीगण

निर्णय

उनवानी मामले में वाद न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके क्रम में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बालापुरा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा में प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 281 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 308 रकबा 0.48 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.58 हैक्टेयर स्थित है। आराजी नम्बर 308 की सुरक्षा हेतु 20–25 वर्षों पूर्व उसके चारों तरफ मेड़ पर डोल डलवाकर ताराबन्दी करवा रखी है। विपक्षीगण 1 लगायत 4 प्रार्थी को परेशान करने की नियत से आराजी नम्बर 308 में से जबरदस्ती रास्ता निकालना चाहते है, जिसका उन्हें हक, अधिकार नही है। इस आराजी में कोई रिकॉर्डेड रास्ता या कदमी रास्ता नही निकलता है। न ही ऐसा कोई रास्ता मौके पर मौजूद है। विपक्षीगण सार्वजनिक आम रास्ता कादीसहना से रहड़ जाने वाले रास्ते से होकर लगभग 3–4 खेत नीचे की ओर जाते हुए रिकॉर्डेड रास्ते से होते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए पूर्व की दिशा की ओर घूम खाते हुए आराजी पर पंहुचते है। यही रास्ता 100 वर्षों से आने–जाने तथा कृषि उपकरण लाने ले–जाने के काम में आ रहा है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टव्या प्रकरण होकर सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी नम्बर 308 में से मेर व तारबंदी को तोड़ते हुए रास्ता निकाल लिया गया तो अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी के पक्ष में विपक्षीगण 1 लगायत 4 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा को फैसला वाद इस अमर की जारी की जावें कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 308 में से विपक्षीगण 1 लगायत 4 जबरन आने जाने हेतु रास्ता निकालने, वाहन, कृषि यंत्र, उपकरण एवं पशु आदि लाने ले जाने पर आमादा होने, उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त तथा चारों तरफ डाली गई मेर व तारबन्दी को न तोड़े व न हटावें तथा न किसी भी तरह की बाधा स्वयं न तो करें, व न नौकरों, एजेन्टों, परिजनों से ऐसा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 15.03.2019 को विपक्षीगण की ओर से अभिभाषक श्री अक्षयराज रेबारी उपस्थित हुए। दिनांक 03.07.2019 को विपक्षीगण की ओर से अभिभाषक श्री त्रिलोक चन्द नौलखा उपस्थित हुए, जिन्होंने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। जवाब की नकल अभिभाषक प्रार्थी को दी गई। जवाब में विपक्षीगण ने बताया कि आराजी नम्बर 308 के साथ उक्त आराजी के बदिशा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

उत्तर पूर्व की ओर नहर का धोरा स्थित होकर पुराने राजस्व रिकॉर्ड में स्थित है। जिसको सेटलमेन्ट वालों ने राजस्व रिकॉर्ड व नक्शें में समाप्त कर दिया, जबकि मौके पर आज भी नहर का सूतलिया(धोरा) स्थित है। प्रार्थी द्वारा 20–25 वर्षों पूर्व उसकी आराजी नम्बर 308 की सुरक्षा हेतु चारों तरफ मेड़ व डोल डलवाकर तारबन्दी करवाने का कथन गलत व झूठा है। आराजी नम्बर 308 में मौके पर कदमी रास्ता पहले था, जिसको प्रार्थी ने अपनी आराजी में मिलाते हुये हाक कर फसल काश्त करना शुरू कर दिया है। विपक्षीगण पिछले 70 वर्षों से आ जा रहे है। अतः विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही करावें। प्रकरण जवाब विपक्षी नम्बर 5 (पेरोकार सरकार) के नियत किया गया। दिनांक 30.10.2019 को पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से उनका जवाब बन्द किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस में अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि ग्राम बालापुरा आराजी नम्बर 308 उसके खातेदारी की भूमि होकर चारों तरफ मेड़, डोल डलवा रखा एवं तारबन्दी करवा रखी है। मौके पर कोई रास्ता नही है। विपक्षीगण जबरदस्ती सीधा रास्ता निकालना चाहते है। जिसका उन्हें हक, अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। अभिभाषक विपक्षीगण ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजी नम्बर 308 के उत्तर पश्चिम व दक्षिण पूर्व की तरफ राजस्व नक्शें में दो रेखाएं बनी होकर रास्ते के रूप में दिखाई देती है, जबकि प्रार्थी की आराजी की उत्तरी पूर्वी सीमा पर एक ही लाईन है, जो सेटलमेन्ट के दरमियान की जाना जाहिर आता है। विपक्षीगण की आराजी नम्बर 477, 478, 480 एवं 4119/477 पर पिछले 70 वर्षों से प्रार्थी की आराजी नम्बर 308 में से ही होकर आते जाते रहें। दिनांक 15.12.2018 को हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट दी गई, जिसमें रास्ता होना बताया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए निम्न विधिक बिन्दुओं पर विवेचन किया जाना आवश्यक होगा।

प्रथम दृष्टव्या मामला :– प्रार्थी ग्राम बालापुरा आराजी नम्बर 308 रकबा 0.48 हैक्टेयर का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, किन्तु विपक्षीगण 1 लगायत 4 की आराजी नम्बर 477, 478, 480, 4119/477 पर जाने का रास्ता प्रार्थी के आराजी में होना भू अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट व राजस्व नक्शा ट्रेस से जाहिर आने से प्रार्थी का प्रथम दृष्टव्या मामला नही बनना पाया जाता है।

अपूरित क्षति का सिद्धान्त :– प्रार्थी के पक्ष में यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो विपक्षीगण को असहनीय क्षति प्रार्थी के मुकाबले अधिक होगी, क्योंकि विपक्षीगण काश्तकार होकर आराजियात को काश्त नही कर पायेंगे तो उनका परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ जायेगा। इस कारण यह बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध बनता है।

सुविधा सन्तुलन :– उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही होने से सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही बनता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि पक्षकारान् के हितो का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण पर अन्तिम निर्णय होने पर ही होगा, परन्तु तीनों विधिक बिन्दुओं में किये गये विवेचन के अनुसार प्रकरण अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(सुश्री श्वेता चौहान)
आईए0एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)